मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
*****

क्रमांक 410 /462-1(3)/72 भोपाल दिनांक 13 जुलाई, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश ।

विषय :- शासकीय सेवकों द्वारा बिना शासन की अनुमति से उच्च शिक्षा प्राप्त करने संबंधी ।

xxxxxx

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तारीख 22 सितंबर, 1961 को जारी किये गये ज्ञापन क्रमांक 2412/1270/1(3) में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 16 के अंतर्गत शासकीय सेवकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिये कालेज में प्रवेश पाने तथा उच्च परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है ।

2/- उपर्युक्त आदेशों के बावजूद यह ध्यान में आया है कि शासकीय सेवक, बिना शासन की अनुमति के, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पा लेते हैं तथा उच्च उपाधि प्राप्त करने के लिये परीक्षाओं में भी सम्मिलित होते हैं । यह भी मालूम हुआ है कि ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि रोकने जैसा मामूली दंड भी दिया गया है । मामले में पूर्ण विचार करने बाद शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शासकीय सेवकों द्वारा उपर्युक्त आदेशों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाई की जाकर कड़ा दंड दिया जावे । ऐसे मामलों में deterrent शास्ति देना आवश्यक है, जिससे अन्य व्यक्तियों पर भी इसका असर हो ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

14 13/7/72

(मृ0 मि0 गर्दे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग